निर्णय व इजलास सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–14/2024
दायरा दिनांक :–10/07/2024
निर्णय दिनांक :– 30/8/2024

उनवान

केलकंवर आयु 72 वर्ष पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाडी तहसील खानपुर हाल निवासी दादाबाडी विस्तार योजना कोटा

–प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां, जिला बारां राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30/8/2024
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एड0– प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ग्राम हीकड़ पटवार हल्का पाठेड़ा की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 23 पुराना 23 की आराजी खसरा नं0 130 रकबा 4.39 हे0 लगानी 122.92 रुपये स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गुरुदयाल सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जाट साकिन मौजा हीकड से दिनांक 26.05.1967 को क्रय की गई है जिसमें भी प्रार्थीया का नाम केलकंवर जोजे अमरसिंह जाति राजपूत साकिन मौजा गुवाडी दर्ज है किन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रुपये प्रार्थीया का नाम केलकंवर की जगह पर केलकुंवर बाई पत्नी अमरसिंह कोम राजपूत दर्ज कर दिया गया है। जबकि सभी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम केलकंवर है इस कारण प्रार्थीया को अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी को बैंक में रहन रखने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व अन्य सहायता प्राप्त करने में काफी समस्या उत्पन्न होती है इस कारण प्रार्थीया अपना नाम केलकुंवर बाई के स्थान पर केलकंवर दर्ज कराने की अधिकारणी है।

प्रार्थीया द्वारा नाम संशोधन हेतु फार्म भरकर आवेदन किया गया था। जिस पर हल्का पटवारी पाठेडा द्वारा दिनांक 20.05.2024 को अपनी रिपोर्ट की हुई है। जिसको आई.एल.आर बराना द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। जिसके पश्चात् तहसील भू–अभिलेख बारां द्वारा दिनांक 22.05.2024 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। किन्तु कार्यालय द्वारा कहा गया कि उक्त फार्म के आधार पर नाम दुरूस्त नही किया जा सकता है। प्रोपर नियमानुसार न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही शुद्ध किया जायेगा इस प्रकार फार्म आवेदन के साथ उक्त प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे स्पष्ट रुप से प्रमाणित है कि प्रार्थीया का नाम शुरु से केलकंवर पत्नी अमरसिंह है जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रुप से केलकुंवर बाई दर्ज कर दिया गया है। जो गलत अकंन किया गया है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दुरूस्त कराने की अधिकारणी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हीकड सम्वत 2071–74 खाता संख्या 23 नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.05.1967 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2056 नकल जमाबन्दी खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–2056 फोटो प्रति आधार कार्ड केलकंवर, जनआधार कार्ड केलकंवर पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तह0 बारां में स्थित है प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गुरुदयाल सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जाट साकिन हीकड से दिनांक 26.05.1967 को क्रय की गई थी। जिसमें भी प्रार्थीया का नाम केलकंवर जोजे अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाडी दर्ज है। किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम केलकंवर की जगह केलकुंवर बाई पत्नी अमरसिंह कोम राजपुत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में केलकंवर दर्ज है। इस कारण प्रार्थीया को अपने खाते की भूमि को बैंक में रहन रखने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में काफी परेशानी उत्पन्न होती है। प्रार्थीया का नाम केलकुंवर बाई के स्थान पर केलकंवर दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 23 के आधार पर केलकुंवर बाई पत्नी अमरसिंह राजपूत दर्ज है। नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.1967 में गुरुदयाल सिंह पुत्र साधु सिंह कोम जाट हीकड द्वारा खसरा नं0 91 रकबा 27.04 बीघा को 2000/– में केलकंवर जोजे अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाडी तह0 खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी सांगोद जिला कोटा को बेचान कर कब्जा प्राप्त कर लिया होना दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया द्वारा भूमि क्रय की गई तथा प्रार्थीया का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी केलकंवर दर्ज है। और प्रार्थीया का नाम केलकंवर के स्थान पर केलकुंवर दर्ज कर दिया है इस सम्बन्ध में तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां द्वारा रिपार्ट में बताया कि प्रार्थीया केलकंवर जोजे अमरसिंह राजपूत द्वारा भूमि क्रय की गई थी। जो सेटलमेन्ट पूर्व नामा0 45 से खातेदारी में दर्ज हुई। सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2027–30 खाता संख्या 10 में केलकंवर बाई जोजे अमरसिंह राजपूत दर्ज हुआ। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम केलकंवर दर्ज है। प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी सम्वत 2027–30 खाता संख्या 10 में केलकुंवर बाई गलत दर्ज हो गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व आधार कार्ड के आधार पर केलकंवर बाई के स्थान पर वर्तमान जमाबन्दी खसरा नं0 130 रकबा 4.39 हे0 भूमि में केलकंवर दर्ज कराने की अनुशंषा की है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड़ तह0 बारां के खसरा नं0 130 रकबा 4.39 हे0 में दर्ज प्रार्थीया का नाम केलकुंवर बाई पत्नी अमरसिंह के स्थान पर केलकंवर पत्नी अमरसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
आर.पी.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner